(51)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :64 / प्र0अ0–भवन / जोन–4 / शमन / 2010–11 दिनांक 10 / 04 / 2014

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विद्यालय भवन का शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़े, अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह प्रबन्धक, मेवालाल सिंह डिग्री कालेज द्वारा आराजी संख्या 170 मौजा–पिपिरसा, नीबी नैनी, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (4) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 31.03.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण तथा माँ दुर्गे उत्थान समिति के चैरिटेबुल गतिविधियों को अंकित करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि महाविद्यालय असहाय, अपाहिज व्यक्तियों, गरीब बच्चों को वाचनालय, पुस्तकालय, प्रवेश शिक्षण कार्य निःशुल्क प्रदान करती है।
4. स्थल पर 25 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
7. दिये गये शपथ पत्र दिनांक 26.09.2013 एवं 28.02.2014 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। दिनांक 28.02.2014 को दिये गये I.T के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र जिसमें सोसायटी द्वारा महाविद्यालय में विधवा निराश्रित बालक / बालिकाओं एवं असहाय, अपाहिज व्यक्तियों को निःशुल्क प्रवेश शिक्षण कार्य पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि की सुविधा सदैव उपलब्ध करायी जायेगी, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति में दिये गये छूट वापस लेते हुए गणना पुनर्निरीक्षित की जायेगी। तदनुसार अन्तर धनराशि आपको जमा करनी होगी।
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–2014 / इला0 / 313 / नैनी / C033 दि0 05.04.2014 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
9. भविष्य में दिये गये शपथ पत्र एवं साक्ष्य अभिलेख पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आवेदक को वर्तमान दर पर देयता देनी होगी।
10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के ढक्कन की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आस पास, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

10/04/2014

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी / प्र0अ0(त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

164

SPECIFICATION:

1- 150 M.M TH P.C.C IN FOUNDATION.
2- 40 M.M TH. D.P.C AT PLINTH LEVEL.
3- 230 M.M TH. BRICK WALL IN SUPER STRUCTURE IN 1:6 CEMENT MORTOR.
4- 112 MM. TH R.C.C SLAB IN 1:2:3.
5- 15 M.M TH. PLASTER AT WALL IN 1:6 & AT CEILING IN 1:5.
6- HOT BITUMIN COATING OVER ROOF SURFACE.

NOTE - ONLY WRITTEN DIMENSION SHOULD BE FOLLOWED AND ALL DIMENSIONS ARE IN MM.

AREA STATEMENT:-	SQ. MT.
1-TOTAL AREA OF PLOT =	[illegible]
2-LEFT FOR ROAD WIDENING =	[illegible]
3-NET PLOT AREA =	[illegible]
4-COVD. AREA AT GROUND FLOOR =	502.15
5-COVD. AREA AT FIRST FLOOR =	[illegible]
6-COVD. AREA AT TOILET BLOCK =	[illegible]
7-COVD. AREA OF MUMTY = [illegible]	[illegible]
8-TOTAL COVD. AREA =	[illegible]
9-OPEN AREA AT GROUND FLOOR =	[illegible]
10-F.A.R. =	[illegible]
11-GROUND COVERAGE =	[illegible]

DETAILS OF PLOT AREA:-

SCHEDULE OF DOOR'S WINDOW'S & VENTI.

1-	DOOR	D1	[illegible]
2-	DOOR	D2	[illegible]
3-	DOOR	D3	[illegible]
4-	WINDOW	W1	[illegible]
5-	WINDOW	W2	[illegible]
6-	VENTI.	V1	[illegible]

OWNER'S NAME:-

मानचित्र भवन उपविधि 2008 एवं महायोजना 2021 के अनुरूप बनाया गया है।

PROJECT

Compounding Plan of
PROPOSED "MEVA LAL SINGH DEGREE COLLEGE
PRATAP CHAURAHA, [illegible]
ALLAHABAD.

ARCHITECT'S SIG. | OWNER'S SIG.

	DATE	REVISION	DRAFTED BY	CHKD. BY

M. K. SINGH & ASSOCIATES.

REGD. OFF: [illegible] NEW LUKER LINE, G. T. ROAD, [illegible], ALLAHABAD
[illegible]
E-mail: [illegible]